संख्याः– 1134 / नौ–7 / 20–27(ज) / 2014टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ दिनॉक 08 अक्टूबर, 2020**

विषयः आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 10.10.2020 से 16.10.2020 तक विशेष सफाई अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप सभी अवगत है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत एवं कोविड–19 तथा संचारी रोगो के परिप्रेक्ष्य में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त के कम में दिनांक 10.10.2020 से 16.10.2020 तक प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विशेष सफाई अभियान के दौरान पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरुप विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यवाही प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित की जायेः–

1. सफाई की समुचित व्यवस्था –

- सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पंचायत एवं निकाय स्तर पर विशेष कार्य दल, जिसमें सक्षम स्तर के अधिकारी / कर्मचारी व कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख–रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे।
- सफाई अभियान निकाय के प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे में संचालित किया जायेगा। सफाई के दौरान एकत्रित किये गये कूड़े को उसी समय सेनेटरी लैण्डफिल साइट / प्रोसेसिंग प्लान्ट / कम्पोस्ट पिट पर भिजवाया जायेगा।
- शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण स्तर पर साफ–सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई तथा घर से जल निकासी हेतु जन–जागरण के लिये प्रचार–प्रसार किया जाय तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार के रोकथाम हेतु ''क्या करें क्या न करें'' के पम्पलेट / लीफलेट, होर्डिंग, बैनर आदि से आमजन को जागरुक किया जाय।

so.nagarvikas@gmail.com 2020 copy

2. नाले/नालियों की सफाई –

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खुले नाले/नालियों के ढकने की व्यवस्था की जाय, तथा सफाई अभियान के दौरान छोटे–बड़े सभी नाले/नालियों की सफाई भी सुनिश्चित की जाय।
- नाले से निकला हुआ सिल्ट तत्काल वहां से सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जायेगा। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जायेगा।

3. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था –

- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बीमारियों से बचाव के लिये अत्यन्त आवश्यक है। संबंधित जल संस्थान एवं नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत के अधिकारी इस अभियान के दौरान पेयजल व्यवस्था से जुड़े नलकूप, हैण्डपम्पस्, पाइपलाइन्स व अन्य उपकरणों का संचालन इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि पाइप पेयजल की आपूर्ति उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक समय तक सुचारू रूप से हो सके। जिसमें निम्नवत् कार्य कराये जाएगें:–
- नलकूपों की मुख्य पाइपलाइनों से बस्तियों में आपूर्ति होने वाली पाइपलाइनों की टूट फूट की मरम्मत एवं जल रिसाव स्थानों को चिन्हित करते हुए उनकी मरम्मत कराना ताकि बस्तियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। समय–समय पर जल शुद्धिकरण हेतु दवाओं का प्रयोग किया जाय।
- उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाय।
- हैण्डपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बन्द किया जाय।
- हैण्डपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सोक–पिट का निर्माण किया जाय।
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु हैण्डपम्प के रिबोरिंग एवं पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल जॉच सुनिश्चित करायी जाय।
- आबादी में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों, मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई (एम0पी0डब्ल्यू0एस0), टैंक टाईप स्टैन्ड पोस्ट की मानकों के अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण सुनिश्चित कराया जाय।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है उन इलाकों में प्रत्येक घर को क्लोरीन के टेबलेट उचित मात्रा में वितरित कराये जाय।
- जन साधारण को पानी उबालकर पीने के लिये जागरूक किया जाय।

4. खुले में शौंच से मुक्ति–

- स्वच्छता के अभियान में शौचालयों का निर्माण व निर्मित शौचालय के समुचित प्रयोग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के लक्ष्य को हासिल करना एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय आदि की समुचित सफाई व रख–रखाव सुनिश्चित कराया जायेगा।

so.nagarvikas@gmail.com 2020 copy

5. जल निकासी की समुचित व्यवस्था–

- इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार पम्पसेट आदि का प्रयोग किया जायेगा।
- जल भराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों तथा पेवमेन्ट का निर्माण करना।
- सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियॉ नियमित रूप से हटाया जाना।
- शहरी क्षेत्रों/शहरी मलिन बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को केन्द्रित करना।
- जलाशयों एवं नालियों की नियमित सफाई।
- जलाशयों एवं तालाबों से वॉटर हाईसिन्थ(जल कुम्भी) के पौधों की सफाई।

6. दवा का छिड़काव–

- वैक्टरजनित रोगों के रोकथाम के लिये आवश्यक है कि एन्टीलार्वा दवाई का नियमित छिड़काव व फॉगिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिड़काव किया जायेगा तथा शाम के समय फॉगिंग की जायेगी।

7. विशेष प्रचार–प्रसार अभियान–

- कोरोना वायरस एवं संचारी रोग के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस एवं संचारी रोगों के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भीड़–भाड़ वाले स्थानों/बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जाय।

8. कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित कन्टेनमेन्ट जोन में विशेष सेनिटाईजेशन किया जाना

- कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सेनिटाईजेशन सुनिश्चित कराया जाय।

9. निकायों के सड़को को गढ्ढामुक्त किया जाना–

- आगामी त्योहारों के दृष्टिगत समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों की सड़कों को गढ्ढामुक्त करने की कार्यवाही दिनांक 16.10.2020 तक पूर्ण कर ली जाय तथा इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशक, पंचायती राज एवं निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. उपरोक्त कार्य नगरीय निकायों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के माध्यम से संपादित किये जाएंगे।

11. **अनुश्रवण**– उपर्युक्त अभियान का सतत अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा एवं मण्डल स्तर पर समस्त मण्डलायुक्तगण द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाय। नगरीय निकायों एवं पंचायतों से संबंधित अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में अभियान

के दौरान किये गये कार्यों के संबंध में संकलित रिपोर्ट प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप–क एवं ख (प्रारूप संलग्न) पर क्रमशः निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 (Gooogle link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxV3dhSEasE-1qDRySeR8PSccNQw9DmEkIIAwcqPOyPWw/viewform?vc=0&c=0&w=1) एवं निदेशक, पंचायती राज (ई–मेल– up.panchayatiraj@gmail.com) को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 एवं निदेशक, पंचायती राज उक्त रिपोर्ट को संकलित कर अपने प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेगें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
08.10.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4– प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
6– निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0।
7– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
8– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
9– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव। 08.10.2020

so.nagarvikas@gmail.com 2020 copy

प्रारूप–क

दिनांक 10.10.2020 से दिनांक 16.10.2020 तक चलाये जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान की संकलित रिपोर्ट

क0सं0	जनपद का नाम	दिनांक	ग्राम पंचायत/नगर निकाय का नाम	अभियान में लगाये गये कार्मिकों की संख्या (कार्य दिवस के आधार पर)	कूड़ा उठाने के लिये प्रयुक्त वाहनों की संख्या	गार्बेज मुक्त कराये गये स्थल (garbage vulnerable points) की संख्या	कुल संग्रहित ठोस अपशिष्ठ (मीट्रिक टन में)	एण्टी लार्वा छिड़काव से संतृप्त किये गये मजरों/वार्डो की संख्या	फागिंग कराये गये मजरों/वार्डो की संख्या	शुद्ध पेयजल हेतु खराब/रिबोर कर ठीक कराये गये हैण्डपम्पों/पाइप पेयजल की मरम्मत की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप–ख

दिनांक 10.10.2020 से दिनांक 16.10.2020 तक चलाये जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान की संकलित रिपोर्ट

क्र0सं0	जनपद का नाम	दिनांक	ग्राम पंचायत/नगर निकाय का नाम	प्रचार–प्रसार के लिये स्थापित किये गये पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी0ए0 सिस्टम) के स्थलों की संख्या	गढ्ढामुक्त किये गये सड़क के संबंध में की गयी कार्यवाही		मास्क न पहनने, गंदगी फैलाने एवं सार्वजनिक स्थल पर थूकने, आदि के संबंध में प्रवर्तन कार्यवाही		कन्टेनमेन्ट जोन एवं अन्य स्थलों पर विसंक्रमण की कार्यवाही	
					स्थलों की संख्या	स्थलों की लम्बाई (मी0)	चालान की संख्या	वसूल की गयी जुर्माना की धनराशि (रू0)	विसंक्रमित किये गये स्थलों की संख्या	विसंक्रमण हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले रसायन की मात्रा (ली0)
1	2	3	4	5	6		7		8	

so.naagarvikas 2020 landscape